कार्यवृत्त

बुधवार, 27 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक 18 मार्च, 2015 ई0)

खण्ड–42
अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना तथा सत्तारूढ़ सदस्य द्वारा मा0 प्रधानमंत्री के विरूद्ध की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे, जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस विषय का संज्ञान ले लेंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरबंस कपूर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जंगली जानवरों द्वारा मारे जा रहे सदस्यों के परिवारों को सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजे की धनराशि में भिन्नता है। सभी परिवारों को अलग–अलग धनराशि प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इसका परीक्षण करवा लें, यदि असमानता है तो निराकरण करें।

आज नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी एवं पढ़ी गईः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	विधान सभा सल्ट के मानिला और स्याल्दे महाविद्यालय को पी0जी0 की पूर्ण मान्यता न दिये जाने से जनता के आन्दोलित होने के सम्बन्ध में।
2. श्री हरबंस कपूर	संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर(जनपद) देहरादून से स्थानांनतरित हुए चिकित्साकों के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून अन्तर्गत सालावाला, जाखन एवं विजय कालोनी में जलनिगम द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चालू न किये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल	प्रदेश में पुलिस विभाग में वेतन विसंगतियों के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
5. श्री संजय गुप्ता	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम हिरनखेड़ी में पथरी
(पढ़ी हुई मानी गई)	नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।

6. श्री विशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के अन्तर्गत चौसाल की पेयजल योजना का स्रोत सूख जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री प्रेम सिंह राणा	नानकमत्ता विधान सभा के अन्तर्गत ईस्टर इण्डिया लि0 खटीमा इण्डस्ट्रीज (फैक्ट्री) की चिमनी से निकले राख व धुएं से आस–पास के लोगों को निजात दिलाने के सम्बन्ध में ।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलौंना को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री महेश सिंह नेगी, निवासी ग्राम व पो0 बिलौंना, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के डाक (ढोलगाँव) में गोमती नदी पर रानीकोट नामक स्थान में 72 मीटर पुल की स्वीकृति कराने के सम्बन्ध में'' श्री गिरीश सिंह रावल, निवासी ग्राम डाक (ढोलगाँव) पो0 फल्याटी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम छानी सेरा (नैकाना खुमाटिया) के कालार बेगांव तोक में 72 मीटर पुल की स्वीकृति कराने के सम्बन्ध में'' श्री कुन्दन लाल, निवासी ग्राम नेकाना खुमाटिया, पो0 सलानी, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ओखली सिरौंद कन्या जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बसन्त सिंह, निवासी ग्राम गहरी गाड, पो0 काफलीगैर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के कन्या जूनियर हाईस्कूल खाँकर का हाईस्कूल में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मोती राम, निवासी ग्राम व पो0 खाँकर, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा एटनबाग के मजरा फतेपुर ग्राण्ट में सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम सभा एटनबाग के मजरे फतेहपुर ग्राण्ट, पो0 हरबर्टपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लखनवाला नेवट में सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सभा लखनवाला, पो0 जस्सोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम पंचायत बैरागीवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मौहरम अली, निवासी ग्राम पंचायत बैरागीवाला, पो0 जस्सोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम पंचायत बुलाकीवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कासिम, निवासी ग्राम पंचायत बुलाकीवाला, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के मजरा जमनीपुर तप्पड़ में सिंचाई नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री नत्थूराम राणा, निवासी ग्राम सभा जमनीपुर के मजरा जमनीपुर तप्पड़, पो0 जमनीपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला में सिंचाई नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कबूल चन्द, निवासी ग्राम सभा बैरागीवाला, पो0 जस्सोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

आज नियम–310 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई है। इसमें से पहली सूचना प्रदेश में कानून व्यवस्था से स्थिति खराब होने संबंधी श्री अजय भट्ट, श्री दलीप सिंह रावत, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री हरबंस कपूर, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री बंशीधर भगत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री संजय गुप्ता, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री यतीश्वरानन्द, श्री दान सिंह भण्डारी, एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के हस्ताक्षरयुक्त सूचना को वे ग्राह्यता पर सुन लेंगे। दूसरी सूचना जो इसी विषय से संबंधित नियम–58 में प्राप्त हुई है तथा ग्राह्यता पर सुनी जानी है।

कुॅवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 18–11–2013 द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 65 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश श्री हरबंस सिंह के विरूद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी गयी है कि दिनांक 18 अक्टूबर 2013 को मा0 सदस्य हवाई यात्रा कर दिल्ली से देहरादून पहॅुचे थे। उनके समर्थक स्वागत हेतु एयरपोर्ट आ रहे थे, किन्तु एयरपोर्ट पहॅुचने से पूर्व ही पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया था, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सडक मार्ग द्वारा देहरादून प्रस्थान करना था, लेकिन उससे पूर्व ही सड़क मार्ग से यात्रा रद्द कर दी गयी, तथा हैलीकाप्टर में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रवाना कर दिया गया, मा0 सदस्य ने अवगत कराया गया है कि एयरपोर्ट से देहरादून रवाना होने के बाद कार्यकताओं द्वारा सूचित किया गया कि कार्यकर्ताओं के वाहनों को सी.ओ. ऋषिकेश श्री हरवंश सिंह द्वारा रोक कर उनसे अभद्रता की गयी एवं गैर वजह अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मा0सदस्य के द्वारा वापस घटना स्थल पर पहॅुचकर उक्त अधिकारी से विनम्रतापूर्वक ऐसा दुर्व्यवहार करने का कारण पूछने पर उक्त अधिकारी द्वारा उनसे भी अभद्रता एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।

तद्क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्रांक सख्या 1350/xx-1/2014–10(5)/2014, दिनांक 09 जुलाई 2014 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा श्री हरवंश सिंह क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के विरूद्ध विशेषाधिकार की सूचना के सम्बन्ध में करायी गयी जॉच के तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा के दृष्टिगत मा0 सदस्य को अवगत कराते हुए उनके वाहनों को पूर्व में बने एयरपोर्ट पर खड़ा करवाया गया, मा0 सदस्य के वाहनों को मुख्य मार्ग से हटाये जाने पर उनके द्वारा अप्रसन्न्ता व्यक्त की गयी तथा जॉच से स्पष्ट हुआ कि क्षेत्राधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा के दृष्टिगत की गयी, उनकी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुॅचाने का कोई उद्देश्य नहीं था साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस को भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा घटना का उल्लेख जिस यात्रा के लिये किया गया है वह उनकी निजी यात्रा से सम्बन्धित है, जिसका सदन अथवा उसकी समिति के उपवेशन की बैठक से सम्बन्ध नहीं है। इसके साथ ही यह भी प्रकट होता है कि उक्त तिथि को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित होने के कारण गृह विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गयी होगी।

अतः मा0 सदस्य द्वारा दी गयी प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नही होता है।

मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

श्री दलीप सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा के नियम–65 की विशेषाधिकार की प्राप्त सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इसका परीक्षण कराने के उपरान्त अपनी व्यवस्था दे देंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 19 से 21 मार्च, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत रुप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च 2015

19 गुरूवार

अनुदान संख्या	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15मिनट)**
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**
अनुदान संख्या	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

18 सहकारिता विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।

(15 मिनट)

20 सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

अनुदान संख्या 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 19 ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। **(15 मिनट**)

25 खाद्य विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)**

अनुदान संख्या 26 पर्यटन विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट**)

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।

(15 मिनट)

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा एवं मतदान।**(15 मिनट**)

27 वन विभाग की अनुदान मॉग, पर चर्चा और मतदान **(15 मिनट)**

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट**

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

मार्च, 2015

20 शुक्रवार

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान**(15 मिनट)**

अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान**(15 मिनट)**

अनुदान संख्या 01 विधान सभा की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान — विवाद नहीं होगा।

02 राज्यपाल की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। —तदैव—

03 मंत्रिपरिषद की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। —तदैव—

04 न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। —तदैव—

08 आबकारी विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)** ——

09 लोक सेवा आयोग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। — विवाद नहीं होगा।

10 पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)** ——

14 सूचना विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)** ——

15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान **(15 मिनट)** ——

21 उर्जा विभाग एवं वैकल्पिक उर्जा की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान। **(15 मिनट)** ——

22 लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदाऩ**(15 मिनट)** ——

23 उद्योग विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)** ——

24 परिवहन विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान**(15 मिनट)** –

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान मांग, पर चर्चा और मतदान।**(15 मिनट)**

3–विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार और पारण ।**(15 मिनट)**

3. उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

4–विगत सत्र के सरकारी संकल्प

1. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा :–

''राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।''

2. माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा –

''राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभा वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।''

मार्च, 2015

21 शनिवार

असरकारी कार्य

विगत सत्र के असरकारी संकल्प

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचारः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।'' **(15 मिनट)**

2. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा एवं विचारः–

''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।'' **(15 मिनट)**

3. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा –

''सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये **''**गंगा विकास प्राधिकरण**''** की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''

(15 मिनट)

दिनांक 17.03.2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पों पर चर्चा –

1. श्री महावीर सिंह रांगड़ ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर कियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।'' **(15 मिनट)**

2. श्री चन्दन राम दास, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्व नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने के लिये सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।'' **(15 मिनट)**

3. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गांवों जिनमें उत्तराखण्डवासियों की जनसंख्या अधिक हो, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर दिये जाये। **(15 मिनट)**

4. श्री बिशन सिंह चुफाल, 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें। **(15 मिनट)**

5. श्री मदन कौशिक, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जायें। **(15 मिनट)**

विगत सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।'' **(15 मिनट)**

2 श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

'राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/ अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।''

(15 मिनट)

वर्तमान सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें।''

(15 मिनट)

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा –

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।'' **(15 मिनट)**

विगत सत्र के नियम–54 की सूचना

1– श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।''

(15 मिनट)

2– श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :–

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।'' **(15 मिनट)**

3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा।

''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।'' **(15 मिनट)**

4 श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा ।

''जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:–

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोागों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।'' **(15 मिनट)**

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''उत्तराखण्ड राज्य में ''ईको सेंसटिव जोन'' को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।'' **(15 मिनट)**

6. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा एवं विचारः–

''प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग–अलग बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग–अलग सूची से भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहें है। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हों।'' **(15 मिनट)**

7. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा–

''राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये है।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्व स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारें, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी है।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते है। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।'' **(15 मिनट)**

वर्तमान सत्र के नियम–54 की सूचना

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा ''जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।'' **(15 मिनट)**

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा ।

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''**(15 मिनट)**

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा ।

''प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।'' **(15 मिनट)**

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा।

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से नाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''**(15 मिनट)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

ज्नपद हरिद्वार में चकबन्दी अधिकारियों की मिलीभगत से रूड़की तहसील के अन्तर्गत भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही ने होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व राजस्व मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद चमोली अन्तर्गत ग्राम चमाली निवासी श्रीमती चन्द्रमती आपदा पिड़ित बुजुर्ग महिला द्वारा आत्म हत्या किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री हरबंश कपूर, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी अन्तर्गत जंगली जानवरों द्वारा जान माल व फसलों के नुकसान विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री बंशीधर भगत, श्री यतीश्वरानन्द व श्री तीरथ सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्यों व वन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ऊधमसिंहनगर अन्तर्गत गदरपुर चीनी मिल के बन्द होने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व गन्ना मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02 बजकर 00 मिनट पर 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के पश्चात् सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

काशीपुर शुगर मिल बन्द होने के कारण कार्यरत कार्मिक भुखमरी की स्थिति में होने विषयक क सूचना की ग्राह्यता पर श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्य व गन्ना मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में खराब हो रही कानून व्यवस्था विषयक नियम–310 की सूचना की ग्राह्यता पर मा0 नेता प्रतिपक्ष व श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 सदस्यों व गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर भाषण से असंतुष्ट हो कर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी सदस्यों ने सदन का वहिर्गमन किया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–22, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संशोधन अस्वीकृत हुए तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

कृषि मंत्री ने विचार व्यक्त किए। श्री अध्यक्ष ने कहा कि संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री ललित फर्स्वाण के भाषण से पुनः आरम्भ हुई तथा निम्न सदस्यों ने चर्चा में विचार व्यक्त कियेः–

1. श्री बंशीधर भगत
2. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
3. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
4. मा0 मुख्यमंत्री

श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन की सहमति पर वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर चर्चा कल दिनांक 19.03.2015 को भी जारी रहेगी।

श्रीमती रेखा आर्य, सदस्य, विधान सभा के भाषण के मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वे इनमें से–

'' विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0–रानीपुर के अन्तर्गत नवगठित नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर में छूट गये कतिपय क्षेत्रों को जोड़े जाने के संबंध में'' श्री आदेश चौहान की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

''उत्तराखण्ड राज्य में 01–11–2005 के बाद नियुक्त सरकारी कार्मिकों की सी0पी0एस0एन0 कटौती के सम्बन्ध में'' श्री सरवत करीम अंसारी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।